सं0 - 1775/15-7-16(3)1/1995

प्रेषक:-

श्री अशोक गांगुली
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 जून, 1995

विषय:- महर्षि विद्या मन्दिर बागेश्वर अल्मोड़ा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महर्षि विद्या मान्दर बागेश्वर अल्मोड़ा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने मेंराज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही है ।

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा ~~xxxxxx~~ नामित एक सदस्य होगा ।

3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा ।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही कीजायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/काउन्सील फार दी इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों के सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा अन्य सरकार से अनुदान ~~स्व~~: स्वत: समाप्त हो जायेगी ।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते

नही दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा ~~शर्तें~~ शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के समान ~~सेवा~~ सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रक्रिया में संशोधन या परिवर्तन नही किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी है कि संस्था को सम्बद्धता देने के पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित कर ली जायेगी ।

न्‍(क) विद्यालय जिस भवन में चल रहा है वह निजी स्वामित्व में होना चाहिए अथवा किराये नामा पंजीकृत होना चाहिए ।

(ख) विद्यालय में कोई प्रवेश शुल्क नही लिया जाय ।

(ग) विद्यालय में जी0पी0एफ0 योजना लागू होगी तथा

(घ) वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्धित होगा कि विद्यालय आगामी तीन वर्षों के भीतर नीजि भवन बना लेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव

पृ0सं01775/(1)/15-7-1995 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा
4- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ
5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर बागेश्वर (अल्मोड़ा)

आज्ञा से
हस्ताक्षर
उप सचिव

True copy attested
17.7.95
Principal,
Govt. P. G. College
Bageshwar, Distt. Almora (U.P.)